


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/विजांच/11188/ए-96/18/12 दिनांक 23.01.2019 द्वारा श्री अशोक कुमार वधवा स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य श्री नाकोड़ा भैरव राउमावि मेवानगर, बालोतरा जिला बाड़मेर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था किन्तु श्री वधवा के माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1680/2019 पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 द्वारा उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया गया। उक्त स्थगनादेश कि पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/विजांच/सी/ 11500/10/19/137 दिनांक 27.03.2019 द्वारा श्री वधवा के निलम्बन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।


निलम्बन से पूर्व श्री वधवा को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) श्री गंगानगर के पद से स्थानान्तरण पर राउमावि नाकोड़ा भैरव, बालोतरा जिला बाड़मेर के लिए कार्यमुक्त किया गया था अतः श्री वधवा उक्त आदेश की अनुपालना में स्थानान्तरित विद्यालय में तत्काल कार्यग्रहण कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

श्री वधवा द्वारा दिनांक 13.03.2019 से 28.03.2019 तक इस कार्यालय में उपस्थिति दी गई।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/ए-2-7/अशोक वधवा/2019 दिनांक 28-03-2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूलशिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा बीकानेर/जोधपुर संभाग, बीकानेर/जोधपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, श्रीगंगानगर/बाड़मेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जोधपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. श्री अशोक कुमार वधवा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राउमावि नाकोड़ा भैरव, बालोतरा जिला बाड़मेर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)